उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा

(समाज कल्याण शाखा)

E-mail - awc8.monitoring@gmail.com

-: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अन्तर्गत नियुक्ति हेतु विज्ञापन :-

राज्यन्तर्गत संचालित केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला योजना समन्वयक एवं जिला योजना सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु Online आवेदन JAP-IT के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं:-

2. **संविदा आधारित नियुक्ति हेतु पद की विवरणी :-**

क्र०	पद का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या
1.	जिला योजना समन्वयक	अनारक्षित	01
2.	जिला योजना सहायक	अनारक्षित	01

3. **कंडिका-02 में वर्णित पद का मासिक नियत वेतन एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यताएँ :-**

क्र०	पद का नाम	निर्धारित अर्हता	नियत वेतन
1.	जिला योजना समन्वयक	**शैक्षणिक योग्यता :** स्नातकोत्तर (सामाजिक विज्ञान/जीवन विज्ञान/पोषण औषध/स्वास्थ्य प्रबंधन/सामाजिक कार्य/ग्रामीण प्रबंधन को अधिमानता) **अन्य योग्यताएँ-** i सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। ii MS-Office के प्रयोग में दक्षता। iii अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में दक्षता।	रू० 35,000/-
2.	योजना सहायक	**शैक्षणिक योग्यता :** स्नातक (सामाजिक विज्ञान /सामाजिक कार्य/ग्रामीण प्रबंधन/सांख्यिकी को अधिमानता) **अन्य योग्यताएँ-** i सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव। ii MS-Office के प्रयोग में दक्ष, अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति।	रू० 20,000/-

4. **उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा :-**

(क) आयु की गणना हेतु तिथि :- 01.08.2022

(ख) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रावधानित नियमों के आलोक में आवेदन के लिए आयु सीमा निम्नवत् होगी :-

क्र०	कोटि	न्यूनतम आयु (वर्ष में)	अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1	अनारक्षित	25 वर्ष	35 वर्ष	45 वर्ष
2	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग		37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)		38 वर्ष	48 वर्ष
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)		40 वर्ष	50 वर्ष

5. (क) **संविदा पर नियुक्ति की शर्तें :-**

(i) संविदा एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगा। आवश्यकतानुसार अग्रेतर सेवा हेतु कार्यरत कर्मियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध अवधि का विस्तार किया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त पद पर कार्यरत किसी भी कर्मी का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उक्त कर्मी का अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

...ा आधारित उपर्युक्त पद पर नियुक्त कर्मी का किसी भी परिस्थिति में स्थाई नियोजन नहीं होगा। इस ...कृत पद कर्मी को नियत वेतन के विरूद्ध ही कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जायेगा।

संवि...ा पर नियुक्त कर्मी को कैलेण्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होगे।

(v) संविदा आधारित उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

(vi) सभी पद पूर्ण रूप से अस्थाई अनुबंध पर होंगे। इन पदों के विरूद्ध नियुक्त व्यक्ति का स्थाई का दावा अमान्य होगा एवं योजना के समाप्ति के बाद सभी पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

(vii) विभाग आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्तो में सशोधन कर सकता है।

(ख) <u>संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया</u> :–

(i) संविदा आधारित उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार का दावा अमान्य है।

(ii) उपर्युक्त सभी पदों के लिए उपायुक्त, कोडरमा नियुक्ति प्राधिकार होंगे।

(iii) चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति के तीन माह के अन्दर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली संस्थान से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त अवधि के अंदर चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) प्रत्येक स्तर पर यथा– प्रांरभिक मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची एवं प्रतीक्षा सूची में चयनित कर्मियों के नाम सूचना पटल, स्थानीय समाचार पत्र एवं NIC कोडरमा के वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(v) एक से अधिक पदों की अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यार्थियों को प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन करने होगें।

6. <u>चयन का मापदण्ड</u> :–

(i) वैसे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगें जिन्होंने कंडिका–3 में उल्लेखित संबंधित पद के सभी शैक्षणिक योग्यता यथा–मैट्रिक, इन्टर एवं स्नातक में न्यूनतम 50% अंक मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया हो।

(ii) प्रारंभिक मेधा सूची तैयार करने के निमित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंक पत्र के आधार पर उन्हें निम्नवत् अंक प्रदान किये जायेगें।

क्र०	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मापदण्ड का प्रतिशतता				
			मैट्रिक	इन्टर	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल प्रतिशतता
1	जिला योजना समन्वयक	स्नातकोत्तर	20	20	30	30	100
2	योजना सहायक	स्नातक	30	30	40	–	100

उदाहरण– उपरोक्त सभी पदों के अभ्यार्थी का प्रतिशतता निम्नानुसार ज्ञात की जायगी:–

शैक्षणिक योग्यता	पूर्णाक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	मापदण्ड का प्रतिशत	प्राप्त प्रतिशतता
मैट्रिक	1000	650	65	20%	13
इन्टर	1000	550	55.5	20%	12
स्नातक	1000	585	58.5	30%	17.5
स्नातकोत्तर	1000	610	61	30%	18.3
कुल–					58.3%

- उक्त आधार पर प्रत्येक पद के लिए पृथक प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(iii) प्रत्येक पद की रिक्ति के अनुरूप तीन गुणा अभ्यर्थियों का चयन शीर्ष प्रारम्भिक मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा।

(iv) जिला स्तरीय जिला योजना समन्वयंक के पद पर प्रारम्भिक मेधा सूची के आधार पर कोटिवार शीर्ष तीन गुणा अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर MS Office के प्रयोग की दक्षता हेतु जॉच परीक्षा ली जायेगी।

(v) जिला स्तरीय योजना सहायक के पद पर प्रारम्भिक मेधा सूची के आधार पर कोटिवार शीर्ष तीन गुणा अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर MS Office के प्रयोग की दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईपिंग मे क्रमशः 25 एवं 35 शब्द प्रति मिनट शुद्धता सहित उत्तीण होना आवश्यक है।

(vi) कम्प्यूटर पर MS Office के प्रयोग की दक्षता तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग की दक्षता हेतु ली जाने वाली जॉच परीक्षा में कोई अंक देय नही होगा। यह पूर्णतः Qualifying प्रकृति के होगें।

(vii) कम्प्युटर पर MS Office एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण शुद्धता सहित उत्तीर्णता के आधार पर अन्तिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

7. आवेदन की प्रक्रिया :–

(i) इच्छुक उम्मीदवार आवेदन ऑनलाईन JAP-IT के वेबसाईट http://recruitment.jharkhand.gov.in से Download किये गए आवेदन को भर कर Scan करने के उपरान्त Scan किये गए आवेदन को एवं निम्न प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को http://recruitment.jharkhand.gov.in पर Upload करेंगे। अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(ii) ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति Online Upload करेंगे।

- मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- इन्टर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- स्नातक अंक पत्र एंव प्रमाण पत्र।
- स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र।
- आरक्षण कोटि के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।
- अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र।
- कम्प्यूटर दक्षता हेतु प्रमाण पत्र।
- हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता प्रमाण पत्र (मात्र योजना सहायक के लिए)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए)

➢ **अभ्यर्थियों द्वारा Online आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि–30.08.2022**

उपायुक्त,
कोडरमा।

ज्ञापांक–592 /स०क० **दिनांक–08 / 08 / 2022**

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि विज्ञापन को सभी दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय एवं राज्य संस्करण में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– डी०आई०ओ० एन०आई०सी०, कोडरमा को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि विज्ञापन से संबंधित विवरणी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप को जिला के पोर्टल **www.koderma.nic.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– OSD,JAP-IT, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन से संबंधित विवरणी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप को JAP-IT के आधिकारिक वेबसाईट **www.recrutment.jharkhand.gov.in** पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– निदेशक, समाज कल्याण झारखण्ड, महिला विकास समिति, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
कोडरमा।